<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।</u>

प्रकीर्ण फौजदारी आवेदन संख्या 894/2019

(अंतर्गत धारा 482 द0प्र0सं0)

हनीफ मलीक ..... आवेदक।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... उत्तरदतागण।

अधिवक्ताः— श्री अमर मूर्ति शुक्ला, आवेदक के अधिवक्ता
श्री टी0सी0 अग्रवाल, उपमहाधिवक्ता,
श्रीमती लता नेगी, ब्रीफ धारक, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से

<u>मान्नीय शरद कुमार शर्मा, जे0</u>

यह सी—482 आवेदन आवेदक द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा फौजदारी वाद संख्या—7353/2018 राज्य बनाम हनीफ मलिक में आवेदक के विरूद्ध धारा—3/4 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीमस (बैनिंग) एक्ट 1978 के अंतर्गत लिये गये संज्ञान के विरूद्ध बहुत ही कम आधार पर योजित किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एकमात्र तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समन आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये एक प्रारूप पर बनाया गया है, जिससे यह परिलक्षित नहीं होता कि न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर तर्कसंगत आदेश पारित किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता जगदीश धाकरियाल द्वारा एफ0आई0आर0 सं0—446, दिनांक 20.12.2017 को नामित अभियुक्त अर्थात आवेदक के धारा—3/4 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीमस (बैनिंग) एक्ट 1978 में संलिप्तता के आधार पर दर्ज करायी गयी।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यदि समन आदेश को उसके निर्दिष्ट प्रारूप में देखा जाता है, जो **पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1998(5)एस0सी0सी0, 749** तथा **सुनील भारती मित्तल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरों, 2015(4)एस0सी0सी0 609** एवं **जी0एच0सी0एल0 इम्प्लॉइज स्टॉक ऑपशन टस्ट बनाम इण्डिया इन्फोलाईन**

लिमिटेड 2013(4) एस0सी0सी0, 505 तथा **विष्णु कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य 2021(114)ए0सी0सी0, 125** में पारित निर्णयों की स्पष्ट उल्लंघन में है।

4. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के अनुक्रम में मामले को अन्वेषण के लिये रखा गया था और आरोपपत्र संख्या 8, दिनांक 10.12.2018 को अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला ऊधमसिंहनगर के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि धारा 173 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार, जहां विधायिका ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपराध का ''संज्ञान लेना'' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव है और इसलिये संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा कि किसी न्यायालय द्वारा कोई अपराध कारित करने पर अभियुक्त के विरूद्ध समन करने से पूर्व मस्तिष्क प्रयोग करके अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना है।

6. प्रस्तुत मामले में समन आदेश जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, एक निर्दिष्ट प्रारूप में है, जो यह नहीं दर्शाता कि न्यायालय के समक्ष रखे गये किसी भी बिन्दुओं पर विचार किया गया था और न ही मस्तिष्क के प्रयोग को दर्शाता है कि कैसे जो तथ्य न्यायालय के सामने रखे गये थे अभियुक्त को अपराध के लिये मुकदमा चलाने हेतु बुलाने के लिये आवश्यक हो सकते थे क्योंकि मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय **पेप्सी फूड्स लिमिटेड** (सुप्रा) में पारित निर्णय के अनुसार एक अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने के लिये समन करने के गम्भीर सामाजिक परिणाम होते हैं। जब न्यायिक अधिकारियों द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिये समन किया जाता है तो उस व्यक्ति पर बहुत व्यापक सामाजिक कलंक, प्रभाव होगा। अतः न्यायिक अधिकारियों द्वारा इसे लापरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिये।

7. कोई कारण न होने पर भी समन आदेश को पूर्व प्रारूपित प्रारूप में रिक्त स्थान भरकर प्रस्तुत करना, जो स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल न्यायालय द्वारा रिक्त स्थानों को भरता है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह धारा 173 द0प्र0सं0 के प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा के परीक्षण को सही ठहराता है।

8. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तर्कों के अवलोकन पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि एक अपराध का संज्ञान न केवल अभियुक्तों को आदेशिका जारी करने के उद्देश्य से लिया जाता है, बल्कि चूंकि यह एक न्यायिक नोटिस है, जो एक अभियुक्त को आपराधिक मामले की संलिप्तता को सहज परिलक्षित करता है।

9. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भूषण कुमार बनाम राज्य (एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली) 2012 (5) एस0सी0सी0, 424** में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 204 द0प्र0सं0 के आशय के सम्बन्ध में न्यायालय ने एक विपरीत विचार किया कि समन जारी करने के लिये कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं हो सकता, जिसके लिये एक विस्तृत विचार–विमर्श की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को समन करने एवं अपराध का संज्ञान लेने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा तर्कसंगत राय का प्रतिबिम्बित होना चाहिये और जहां संज्ञान का अर्थ है एक आपराधिक अधिनियम का न्यायिक नोट लेना, जिसमें किसी व्यक्ति को समन करने के साथ इसका स्पष्ट रूप से पालन करना चाहिये।

10. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुनील भारती मित्तल** (सुप्रा) के एक अन्य निर्णय में, जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से भरोसा किया है, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 47 की ओर आकर्षित किया है, जिसके अनुसार–

> "**47.** हमने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है कि भले ही सीबीआई ने अपीलकर्ताओं को फंसाया न हो, अगर इन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिये रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री थी/हैं, तो विशेष न्यायाधीश को इन व्यक्तियों के खिलाफ भी संज्ञान लेने का अधिकार है। संहिता की धारा 190 के तहत, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट (और उन मामलों में जहां द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के लिये विशेष रूप से सशक्त किया गया है) निम्नलिखित तीन स्थितियों के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।
>
> **(ए)** उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं,
>
> **(बी)** ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, और
>
> **(सी)** एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपने स्वंय के ज्ञान पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।

यह खण्ड जो अध्याय XIV का प्रारम्भिक खण्ड है, उक्त अध्याय के प्रावधानों के अधीन है। ''संज्ञान लेना'' पद को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, जब मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 200–203 के तहत कार्यवाही के लिये मस्तिष्क का प्रयोग करता है, तो कहा जाता है उसने एक अपराध का संज्ञान लिया है। इस कानूनी स्थिति को इस न्यायालय द्वारा एसके सिन्हा, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशल लिमिटेड और अन्यः (2008) 2एस0सी0सी0 492 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है।

19. अभिव्यक्ति ''संज्ञान'' को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन शब्द (संज्ञान) अनिश्चितकालीन महत्व का है। आपराधिक कानून में इसका कोई गूढ़ या रहस्यवादी महत्व नहीं है। इसका अर्थ केवल ''जागरूक होना और जब एक अदालत या एक न्यायाधीश के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ ''न्यायिक रूप से नोटिस लेना'' होता है।

यह इंगित करता है जब किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिये न्यायिक नोटिस दिया जाता है।

20. ''संज्ञान लेने'' में किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक कार्यवाही शामिल नहीं है। यह तब होता है जब एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध के पारित होने पर अपना मस्तिष्क लगाता है।

11. वास्तव में, यदि उक्त निर्णय के पैरा 47 पर विचार किया जाता है, तो इसे मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के **2008(2) एस0सी0सी0 492 एस0के0 सिन्हा मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीड़ियोकॉन इंटनरेशनल लिमिटेड और अन्य,** जिसमें इसके पैरा 19 में, मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि ''संज्ञान'' शब्द का आपराधिक कानून में क्या महत्व होगा, जब किसी व्यक्ति को समन करने की आवश्यकता होती है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा संख्या 19 को यहां उद्धत किया गया है।

''**19.** संहिता में संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया लेकिन संज्ञेय शब्द अनिश्चितकालीन महत्व का है। आपराधिक कानून में इसका कोई गूढ़ या रहस्यवादी महत्व नहीं है। इसका अर्थ केवल ''जागरूक होना'' है और जब इसके साथ प्रयोग किया जाता है एक अदालत या एक न्यायाधीश के संदर्भ में, यह ''न्यायिक रूप से नोटिस

लेने के लिये'' को दर्शाता है। यह उस बिन्दु को इंगित करता है जब किसी के द्वारा कारित अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से एक अदालत या एक मजिस्ट्रेट एक अपराध की न्यायिक नोटिस लेता है।

12. वास्तव में, मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भेद किया गया है, वह यह है कि संज्ञान का अर्थ किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने के बारे में जागरूक करना नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति को तलब किया गया है, उसे कारण के साथ यह भी पता होना चाहिये कि उसे क्यों बुलाया गया है और उसका औचित्य क्या है और किस प्रकार का अपराध है और वह भी किस सामग्री पर आधारित है। इसके इन सभी पहलुओं में, इस न्यायालय की राय के अनुसार, यह मस्तिष्क का प्रयोग और एक न्यायिक विचार की औपचारिक व्याख्या पर विचार करता है, यह केवल समन जारी करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है।

13. वास्तव में **सुनील भारती मित्तल** (सुप्रा) के मामलों में, मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार किया है कि किसी अपराध का संज्ञान संतुष्टि के लिये अनिवार्य है, जो शिकायत या पुलिस रिपोर्ट या आरोपी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिये बुलाने के लिये अनिवार्य हो जाता है। उक्त निर्णय के पैरा 48 को यहां उद्धत किया गया है–

> **''48**. अपराध का संज्ञान लेने के लिये अनिवार्य शर्त यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा मस्तिष्क का इस्तेमाल किया जाये और उसकी संतुष्टि हो कि आरोप साबित होने पर अपराध होगा। इसलिये यह जरूरी है कि शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट इस सवाल पर विचार करने के लिये बाध्य है कि क्या वही अपराध के आरोप का खुलासा करता है और इस संबंध में ऐसी राय बनाने की आवश्यकता है। जब वह ऐसा करता है और आदेशिका जारी करने का फेसला करता है, तो उसे संज्ञान लिया जाना कहा जायेगा। संज्ञान लेने के चरण में, न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचार विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने के लिये रहता है कि जिस सामग्री पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रस्ताव करता है, वह प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं''।

14. **पेप्सी फूड लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में, मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 26 में अभिनिर्धारित किया है कि ''संज्ञान'' शब्द के लिये विधायिका के तहत प्रयुक्त नामकरण के अनुसार, इसका क्या असर होगा। धारा 482 द0प्र0सं0 या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जांच का दायरा उक्त निर्णय के पैरा 28 में निर्धारित मापदण्डों के आलोक में बनाया जाना था, जिसके अनुसार समन आदेश जारी करने के परिणामस्वरूप यह एक आपराधिक कार्यवाही है, जिसे आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कहा जाता है। उस घटना में, जहां एक आपराधिक प्रक्रिया भी है, यह न्यायालय की अनिवार्य और अपरिहार्य जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे समन आदेश में मस्तिष्क प्रयोग को प्रतिबिम्बित करना चाहिये। न्यायालय द्वारा आरोप, समन का आधार और कारण, आरोपपत्र में लगाये गये आरोपों से विशेष रूप से निष्कर्ष निकाल जाना चाहिये कि किसी व्यक्ति को बुलाये जाने पर उन अपराधों के लिये दोषी ठहराये जाने की यदि सम्भावना है, जिसके लिये उसे बुलाया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट उसके सामने पेश किये गये दस्तावेजों का मात्र स्वीकार करने वाला ही नहीं बल्कि साक्षियों की सावधानी से जांच करने और समन आदेश को सही ठहराने के लिये स्वंय से प्रश्न करना होगा, जो विवादित आदेश में परिलक्षित नहीं होता है।

15. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जी0एच0सी0एल0 इम्पलॉयज स्टॉक ऑपशन ट्रस्ट** के पैरा 13 व 19 में बताया है कि किन परिस्थितियों में समन आदेश न्यायालय द्वारा न्यायोचित होगा। निर्णय का पैरा 19 जो **थर्मेक्स लिमिटेड व अन्य बनाम के0एम0 जॉनी** व अन्य के संबंध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के एक और फैसले पर आधारित है। उपरोक्त निर्णय में व्यापक पैरामीटर निर्धारित किये गये हैं, जो **थर्मेक्स लिमिटेड** के सुप्रा के पैरा 38 व 39 के निहितार्थ निकालने से प्राप्त किये जा सकते हैं। **जी0एच0सी0एल0 इम्पलॉयज स्टॉक ऑपशन ट्रस्ट** के पैरा 19 के अनुसार

> **''19'.** समन जारी करने के आदेश में विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध मामले और प्रबन्धक निदेशक कम्पनी सचिव या निदेशकों की क्षमता में उनके द्वारा निभायी गयी भूमिका के बारे में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिये अपनी संस्तुति दर्ज नहीं की है, जो कि अनिवार्य है। हाल ही में थर्मेक्स लिमिटेड व अन्य बनाम के0एम0 जॉनी व अन्य के मामले में इसी तरह के मामले के दौरान इस न्यायालय ने निम्नानुसार प्रावधानित किया है।

''38'' हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी अपीलकर्ताओं को एक आपराधिक मामले में उनकी विशिष्ट भूमिका या कथित अपराध में भागीदारी करना आपराधिक मुकदमा शुरू करके अपीलकर्ता कम्पनी के साथ अपने विवाद को निपटाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जोड़ा है। यह इंगित किया गया है कि अपीलकर्ता 2 से 8 अपीलकर्ता 1 कम्पनी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व निदेशक और वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिक हैं, जिनकी प्रतिवादी संख्या 1 के आरोपों और दावों में कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं।

''39'' इस तथ्य के अलावा कि शिकायत में धारा 405, 406, 420 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 के आवश्यक तत्वों का अभाव है। यह ध्यान रखना चाहिये कि ''प्रतिनिधि दायित्व'' की अवधारणा आपराधिक कानून के लिये अज्ञात है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है लेकिन बोर्ड़ के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपीलकर्ता कम्पनी के प्रबन्धन और व्यापार की देखरेख के लिये जोड़ा गया हैं।

16. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये जिसे बाद में **विष्णु कुमार गुप्ता व अन्य** (सुप्रा) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दोहराया गया था, जिसके पैरा 5, 10, 11 के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भ दिया गया है। न्यायालय का विचार है कि यह शक्तियों का एक पृथागत अभ्यास नहीं है, जो आपराधिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है। जहां किसी व्यक्ति को प्रारूपित समन आदेश पर पृथागत रूप से बुलाया जा सकता है, जो मस्तिष्क के प्रयोग को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। प्रथम दृष्टया अपराध करने के लिये एक अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता स्थापित करता है, जिसके लिये उसे समन किया गया है और यह दोषपूर्ण है, जो आक्षेपित समन आदेश से स्पष्ट है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 5, 10 और 11 में प्रावधानित किया है कि–

''5'' यह पुनः प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22–12–2018 का समन आदेश एक न्यायिक आदेश नहीं है क्योंकि यह एक मुद्रित परफॉर्मा पर आवेदकों के विरूद्ध संज्ञान लेने के लिये कोई कारण दर्ज किये बिना पारित किया गया है, जहां केवल वाद संख्या, धारा, आदेश की तारीख और समन की तारीख भर दी गयी है।

''10'' इस समय, धारा 173 के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुये आरोपी व्यक्तियों को समन करने से संबंधित कानून पर नजर डालना उपयोगी है। द0प्र0सं0 का संबंध है और यहां नीचे उल्लेखित केस कानून के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से शिकायत पर अपराध का संज्ञान लिया जाता है। चूंकि यह कुछ तथ्यों का न्यायिक नोटिस लेने की एक प्रक्रिया है, जो एक अपराध का गठन करते हैं, इस पर विचार करना होगा कि क्या जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सामग्री आगे बढ़ने के लिये पर्याप्त आधार पर परिणत होती है और कानून का उल्लंघन करती है। मुकदमे का सामना करने के लिये किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत में पेश होने के लिये बुलाना। यह कानून केस के तथ्यों को ध्यान में रखकर न्यायिक कार्य करने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के ऊपर है।

11. ए0आई0आर0 2012 एस0सी0सी0 1747 में, भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संहिता की धारा 204 मजिस्ट्रेट को समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने के लिये बाध्य नहीं करती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही के लिये पर्याप्त आधार है, तो समन जारी किया जा सकता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को एक राय बनाने के लिये बाध्य करती है कि समन जारी करने के लिये पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं, लेकिन यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका स्पष्ट विवरण अनिवार्य है, यह जारी किये गये समन की वैधता तय करने के लिये पूर्व–आवश्यकता नहीं है''।

17. उस घटना में, और कानून के स्थापित सिद्धान्तों के आलोक में पहले से ही दर्ज कारणों के सन्दर्भ में आपराधिक कानून के तहत **''संज्ञान''** के शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में बिना मस्तिष्क प्रयोग के प्रारूपित समन आदेश धारणीय नहीं होगा। इसलिये आपराधिक वाद संख्या 7353/2018 राज्य बनाम हनीफ मलिक में पारित समन आदेश दिनांक 08.08.2018 को निरस्त किया जाता है। तद्नुसार सी–482 आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

18. हालांकि धारा–3/4 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीमस (बैनिंग) एक्ट 1978 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिये एवं आवेदक को समन करने की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराने के लिये उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला ऊधमसिंहनगर के न्यायालय में उनके समक्ष रखी गयी ऑनलाईन सामग्री पर पुर्नविचार कर यदि आवश्यक हो तो तर्कपूर्ण आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।

19. तद्नुसार वर्तमान सी–482 आवेदन स्वीकृत किया जाता है और उपरोक्त स्वतंत्रता के अधीन समन आदेश एतद्त द्वारा निरस्त किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा जे0)

15.09.2022